E-OFFICE NO. 893872
DATE. 18.8.15

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(41) ग्राविवि–5/आवास/मीटिंग/2015–16 जयपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त, जिला परिषद्।
राजस्थान।

विषय :– इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों का नियमित रूप से प्रशिक्षण किये जाने बाबत्।

योजना के दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 3.6 के अनुसार इन्दिरा आवास योजना के प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि में से आईईसी व क्षमता संवर्धन हेतु गतिविधियां क्रियान्वित कराने का प्रावधान है। समय–समय पर आयोजित सनीक्षा बैठकों, वीडियों कॉन्फ्रेसिंग व विभागीय पत्रों द्वारा इस क्रम में निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी अधिकांश जिलों में पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर लाभार्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जा रहे है, जो खेदजनक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि योजना के दिशा–निर्देशानुसार आईईसी व क्षमता संवर्धन मद में उपलब्ध राशि से स्वीकृत/निर्माणाधीन आवासों के लाभार्थियों का नियमित रूप से प्रशिक्षण आयोजित कराने का अविलम्ब कार्यक्रम जारी कर प्रशिक्षण आयोजित कराने की निम्नानुसार कार्यवाही करावें :–

1. विभागीय पत्र दिनांक 30 जुलाई, 2015 अनुसार वर्ष 2015–16 के लक्ष्यानुसार स्वीकृति जारी कर लाभार्थियों व सम्बन्धित ग्राम सेवक, सरपंच/चिन्हित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का पंचायत समिति/क्लस्टर पंचायतों पर दिनांक 20.09.2015 तक प्रशिक्षण आयोजित कराया जावें, जिसमें लाभार्थियों को योजना की जानकारी के साथ–साथ आवास अधिकार कार्ड भी वितरित किये जावें। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले लाभार्थियों को नियमानुसार आने–जाने का वास्तविक किराया दिया जावें।
2. वर्ष 2014–15 अथवा उससे पूर्व के वर्षों में स्वीकृत आवास जो अभी भी अपूर्ण/प्रगतिरत है तथा जिनको गत भुगतान की गई किश्त (प्रथत/द्वितीय किश्त) की अवधि 3 माह से अधिक होने के उपरान्त भी वांछित प्रगति अर्जित नहीं की है, की समीक्षा कर प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों की प्रतिमाह 10 तारीख तक सूची तैयार कर क्लस्टर/ब्लॉक स्तर पर लाभार्थियों की संख्या के आधार पर आगामी 10 दिवस में प्रशिक्षण आयोजित किये जावें। यह कार्यवाही प्रतिमाह नियमित रूप से सम्पादित कराई जावें।
3. वर्ष 2015–16 के पंजीकरण उपरान्त इन्दिरा आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची के पंजीकरण से शेष पात्र परिवारों की ग्राम/ग्राम पंचायतवार सूची तैयार कराकर स्थानीय समाचार पत्रों में/सार्वजनिक स्थलों पर सूची चस्पा कर पंजीकरण की अपील जारी की जावें एवं पात्र लाभार्थियों का आवाससॉफ्ट पर पंजीकरण कराया जावें। यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आवाससॉफ्ट पर पंजीकरण सतत् रूप से किया जा सकता है, जिससे तदनुसार जिले/राज्य को आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप स्वीकृतियां जारी हो सकें।

13/8/15
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंरावि।
4. परियोजना अधिकारी एवं पदेन उप सचिव, (मो. एवं मू) को विभागीय बेव–साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. समस्त परियोजना निदेशक एवं योजना प्रभारी, ग्रामीण विकास विभाग।
6. समस्त जिला कलक्टर।
7. जिला आवास प्रभारी, जिला परिषद समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

D:\SE\Letter SE.docx